



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259448
CG-DL-E-16122024-259448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5039]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946

No. 5039]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सं. 86/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5446(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित माल के एक वर्ग के संबंध में विनिर्माण प्रक्रियाओं और अन्य प्रचालकों को विनिर्दिष्ट करती है, जिसे गोदाम में रखने की अनुमति नहीं होगी:-

तालिका

क्रम संख्या	गोदाम में माल के एक वर्ग के संबंध में विनिर्माण प्रक्रियाएं और अन्य प्रचालन
(1)	(2)
1.	सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए आयातित माल जो बिजली की आपूर्ति करता है।

स्पष्टीकरण.- क्रम संख्या 1 के प्रयोजन के लिए, प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के अंतर्गत गोदाम में रखे गए माल के संबंध में विनिर्माण प्रक्रियाओं और अन्य प्रचालनों से बिजली उत्पन्न होती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 से प्रभावी होगी।

[डा. सं. सीबीआईसी-170484/11/2024-एलसी]

मेघा बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

No. 86/2024-Customs (N.T.)

S.O. 5446(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub - section (1) of Section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby specify the manufacturing processes and other operations in relation to a class of goods that shall not be permitted in a warehouse, as mentioned in column (2) of the table below:-

Table

Sl. No.	Manufacturing processes and other operations in relation to a class of goods in a warehouse
(1)	(2)
1.	Goods imported for solar power generation projects which supply electricity.

Explanation.- For the purpose of Sl.No.1, the restriction is applicable only when electricity is resulting from the manufacturing processes and other operations in relation to the warehoused goods under section 65 of Customs Act 1962(52 of 1962).

2. The notification shall come into force with effect from the 17th December, 2024.

[D. No. CBIC-170484/11/2024-LC]

MEGHA BANSAL, Under Secy.